आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –34 / 2022
बीरबल पंडित
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
02.03.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 3546 / 2021 में दिनांक–18.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 10.09.2020 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2022 को पारित आदेश का अंश निम्नवत है :– **"Considering the above, as requested on behalf of the petitioner, this application is disposed of with a liberty to the petitioner to approach the appropriate/Statutory authority seeking redressal of his grievance as raised in the present writ application. If any application/representation is filed before the appropriate/statutory authority within four weeks from today, the appropriate/statutory authority without giving into the question of limitation, shall decide the petitioner's representation on merits."** आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः– (i) आवेदक द्वारा पंचायत बगहिया अंतर्गत रिक्ति सं0–925 अनारक्षित वर्ग के अनुज्ञप्ति के लिए दिनांक 23.12.2019 को आवेदन दिया गया। (ii) अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर द्वारा आवेदक को अनुज्ञप्ति हेतु योग्य का अनुशंसा किया गया। परंतु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी सं0–05 श्री राजेश कुमार	

WEB COPY NOT OFFICIAL

का चयन किया गया।

(iii) विपक्षी सं0–05 राजेश कुमार वार्ड सं0–02 के निवासी है एवं वार्ड सं0–02 में जन वितराण प्रणाली का दुकान भी है। श्री राजेश कुमार की माँ वार्ड सदस्य के रूप में कार्यरत है, विपक्षी सं0–05 (राजेश कुमार) को अनुज्ञप्ति दिया जाना गलत है।

(iv) आवेदक के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी कि आवेदक निर्वाचित वार्ड सदस्य है या नही? आवेदक द्वारा दिनांक 23.12.2019 को वार्ड सदस्य से त्यागपत्र दिया जा चूका था, जिसे मुखिया द्वारा दिनांक 30.12.2019 को मंजूर भी कर लिया गया।

साथ ही आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिला चयन समिति के के निर्णय को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0–05 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक स्वयं वार्ड सदस्य थे। इसलिए उनका चयन नहीं हुआ।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि आवेदक के वार्ड सदस्य होने के कारण जिला स्तरीय चयन समिति, मुजफ्फरपुर द्वारा श्री राजेश कुमार को अनुज्ञप्ति हेतु चयनित किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(i) आवेदक श्री बीरबल पंडित द्वारा रोस्टर बिंदु 925 अनारक्षित के अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक 13.01.2018 को अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर को आवेदन समर्पित किया गया है।

(ii) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि आवेदक द्वारा दिनांक 23.12.2019 को अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दिया गया के संबंध में उल्लेखनीय है कि यह असत्य एवं भ्रामक है। क्योंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.01.2018 निर्धारित थी और आवेदक द्वारा अपने आवेदन पर दिनांक 13.01.2018 अंकित किया गया है। दिनांक 15.03.2018 को तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अभिलेख में रक्षित श्री बीरबल के आवेदन की जाँच भी कर हस्ताक्षर तिथि सहित किया गया है। आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात भी आवेदन की तिथि या उससे पूर्व का है। जैसे– शपथ पत्र, कार्यपालक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर से दिनांक 13.01.2018 में हस्ताक्षरित है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा जानबूझकर गलत ढ़ंग से आवेदन की तिथि दिनांक 23.12.2019 बताया जा रहा है ताकि त्याग–पत्र की तिथि को सही ठहराया जा सके।

WEB COPY NOT OFFICIAL

(iii) आवेदक का यह कथन कि उनके द्वारा दिनांक 23.12.2019 को वार्ड सदस्य के पद से त्याग–पत्र दे दिया गया एवं दिनांक 30.12.2019 को मुखिया द्वारा त्याग–पत्र स्वीकृत कर लिया गया के संबंध में उल्लेखनीय है कि आवेदक आवेदन की तिथि दिनांक 13.01.2018 को वार्ड सदस्य के रूप में कार्यरत थे क्योंकि इनाक त्याग–पत्र आवेदन की तिथि दिनांक 13.01.2018 के बाद (23.12.2019) का है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(ii) में अंकित है कि **''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपना कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (disqualified) रहेंगे।''**

इस प्रकार ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य होने के कारण जिला स्तरीय चयन समिति, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 10.09.2020 के बैठक में आवेदक को अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं पाये जाने का निर्णय नियमानुकूल है, जिसमें किसी प्रकार की कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए यह प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL